पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 88/2024 दिनांक- 16.03.2024

प्रेस- नोट

थाना- फूलपुर

छेड़खानी का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 15-03-24 को वादी मुकदमा थाना फूलपुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी कमलेश पुत्र तिलकधारी निवासी सदरपुर बरौली थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा स्कूल में पढने जाते समय रास्ते में वादी मुकदमा की लड़की उम्र 17 वर्ष के साथ छेड़खानी की गयी मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 131/24 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 16-03-2024 को उ0नि0 गौतम कुमार सरोज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 कमलेश पुत्र तिलकधारी निवासी सदरपुर बरौली थाना फूलपुर आजमगढ़ को दुर्वासा गेट से समय करीब 13.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 131/24 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. कमलेश पुत्र तिलकधारी निवासी सदरपुर बरौली थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 गौतम कुमार सरोज, का0 इरफान अहमद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

थाना- निजामाबाद

हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 15.03.24 को वादिनी मुकदमा श्रीमती उषा देवी पत्नी स्वामीनाथ निवासी ग्राम नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 14.03.2024 को वादिनी के लड़के शिवम वर्मा पुत्र स्वामीनाथ को अभियुक्त सुबाष यादव, बृजेश यादव पुत्रगण गुलाब, गुलाब यादव पुत्र स्व0 चन्द्रबली निवासीगण ग्राम नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा मामूली बात को लेकर घर मे घुसकर गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी, जिससे मौके पर ही बेहोश होकर गिर जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 109/24 धारा 323/504/506/452/308 भादवि बनाम 1.सुबाष यादव 2.बृजेश यादव पुत्रगण गुलाब यादव 3.गुलाब यादव पुत्र स्व0 चन्द्रबली यादव निवासीगण नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 308 भादवि का लोप करते हुये धारा 307 भादवि की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 16.03.24 को उ0नि0 चन्द्रजीत यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त .सुबाष यादव पुत्र गुलाब यादव उम्र करीब 32 वर्ष 2.गुलाब यादव पुत्र स्व0 चन्द्रबली यादव उम्र 56 वर्ष निवासीगण नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर नेवादा से समय 11.35 बजे पुलिस हिरासत में लेकर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 109/24 धारा 323/504/506/452/307 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सुबाष यादव पुत्र गुलाब यादव उम्र करीब 32 वर्ष

2.गुलाब यादव पुत्र स्व0 चन्द्रबली यादव उम्र 56 वर्ष निवासीगण नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 01 अदद बास का डन्डा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रजीत यादव हे0का0 पिन्टु कुमार का0 राकेश यादव मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना देवगांव
हत्या के प्रयास में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना

दिनांक 15.03.2024 को वादी मुकदमा मो0 कलीम पुत्र मो0 कासिम ग्राम सलहरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी 1. राजिक पुत्र शाहिद उर्फ छोटू निवासी ग्राम सलहरा थाना देवगाँव आजमगढ़, 2. नवाज पुत्र आरिफ निवासी ग्राम सलहरा थाना देवगाँव आजमगढ़ ने पुरानी रंजिश को लेकर वादी के चाचा को जान से मारने की नियत से मारे पीटे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 102/2024 धारा 307 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मुरारी मिश्रा द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 16.03.2024 को उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. राजिक पुत्र शाहिद उर्फ छोटू निवासी ग्राम सलहरा थाना देवगाँव आजमगढ़, 2. नवाज पुत्र आरिफ निवासी ग्राम सलहरा थाना देवगाँव आजमगढ़ को बनारपुर प्राइमरी स्कूल के पास से समय करीब 08.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 102/2024 धारा 307 भादवि थाना देवगाव जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. राजिक पुत्र शाहिद उर्फ छोटू निवासी ग्राम सलहरा थाना देवगाँव आजमगढ़
2. नवाज पुत्र आरिफ निवासी ग्राम सलहरा थाना देवगाँव आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 मुरारी मिश्र, का0 सुरेश राजभर, का0 संदीप कुमार थाना देवगांव आजमगढ़।